संख्याः 1002/XI/2018/56(50)2017

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
इन्दिरानगर,देहरादून।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांकः 12 जून, 2018**

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसउ मोटर मार्ग स्टेज–1 हेतु अतिरिक्त कार्यों हेतु रू0 94.08 लाख की स्वीकृति राज्य मद से प्रदान करने **विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसउ मोटर मार्ग स्टेज–1 हेतु अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में आधिक्य की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्य हेतु भारत सरकार से मूल स्वीकृत कुल लागत 811.67 लाख, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक –17024/24/2013, दिनांक 04.02.2014 के द्वारा दी गयी है तथा मार्ग निर्माण के दौरान कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कार्य लागत रू0 94.08 लाख की राज्य मद से स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव के क्रम में अपने कार्यालय के पत्र संख्या–190 दिनांक 26.04.2018 एवं पत्र संख्या–80, दिनांक 12.04.2018 के अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत फेज– XII के अन्तर्गत दमन से देसउ मोटर मार्ग स्टेज–1 के अतिरिक्त कार्यों हेतु **धनराशि** रू0 94.08 लाख **(रू0 चौरानवें लाख आठ हजार मात्र)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आधिक्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि में से स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व योजनाओं/कार्यों की सूची का अनुमोदन शासन से प्राप्त किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि उन्हीं कार्यो/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा एक मद की धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में कदापि न किया जाय। प्रश्नगत धनराशि का आहरण कर यू0आ0आर0डी0ए0, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून को तत्काल हस्तान्तरित की जायेगी।
3. उक्त कार्यो एवं परियोजनाओं के लिए प्रदत्त स्वीकृति को किसी अन्य योजना के लिए दृष्टान्त स्वरूप नहीं लिया जायेगा। भविष्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के मानकों के तहत ही परियोजनाओं की विशिष्टियों/मानकों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से गहन स्थलीय परीक्षण/निरीक्षण करते हुए योजनाओं के सफल कार्यान्वयन एवं समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर योजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का दायित्व अभिकरण का होगा।
4. प्रश्नगत कार्यों की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमान्तर्गत ही कार्य को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इन कार्यो हेतु भविष्य में धनराशि की मांग किसी भी दशा मे स्वीकार्य नहीं होगी। स्वीकृत की जा रही अतिरिक्त धनराशि की सीमान्तर्गत विशिष्टियों और मानकों के अनुरूप कार्यों को सम्पन्न किये जाने का दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था को होगा।
5. उक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा व्यय शासन द्वारा अनुमोदित लागत की सीमा के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जाय।
6. उक्त धनराशि व्यय करते समय योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.11.2004 एवं 28.01.2008 को जारी होने वाले दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।
7. उक्त धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का नियामानुसार पालन करते हुए मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. उक्त धनराशि के योजनावार उपभोग प्रमाण पत्र राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाय।
9. प्रश्नगत कार्य, योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से सम्पन्न किया जाय। किसी अन्य योजना से कदापि न किया जाय।
10. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के प्राविधानानुसार दिनांक 31.03.2019 तक शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018—19 के आय—व्ययक के अन्तर्गत **अनुदान संख्या—19** के लेखाशीर्षक—4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—102— सामुदायिक विकास—05—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान—24—वृहत निर्माण कार्य मद से **धनराशि** रू0 94.08 लाख **(रू0 चौरानवें लाख आठ हजार मात्र)** का वहन किया जायेगा एवं सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या— 31/वित्त—4/2018 दिनांक 08 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1806190061 दिनांक 08.06.2018 से जेनरेट कर जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक — यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : /XI/2018/56(50)2017 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) कार्यालय महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), कार्यालय महालेखाकार भवन, कौलागढ़ , देहरादून।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास,उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 1002 XI/2018/ 56(50)17

अलोटमेंट आई डी - S1806190061

अनुदान संख्या - 019

आवंटन पत्र दिनांक -08-Jun-2018

HOD Name - Chief Engineer Level-2, PMGSY (2261)

1: लेखा शीर्षक 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 -

102 - सामुदायिक विकास

05 - प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान

00 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत लागत एवं निविदाओं में 10 प्रतिशत से अधिक की बढोत्तरी के आधिक्य का भुग

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वहन निर्माण कार्य	0	9408000	9408000
	0	9408000	9408000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 9408000